न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू, जिला दूदू

पीठासीन अधिकारी का नाम – गोपाल परिहार आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या – 3/2024

अन्तर्गत धारा – खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 18.11.2024

सरकार जरिये नरेन्द्र सिंह राठौड खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ।

प्रार्थी – आवेदक

बनाम

1. जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री हनुमान सिंह (विक्रेता)
   मैसर्स – जोधपुर मिष्ठान भण्डार,
   रोडवेज बस स्टैण्ड, डिग्गी मालपुरा जयपुर रोड, फागी दूदू–303005
   निवासी वार्ड नं0 20, जयपुर मालपुरा रोड, फागी, दूदू
2. सुमेर सिंह राजपुरोहित (मालिक)
   मैसर्स – जोधपुर मिष्ठान भण्डार,
   रोडवेज बस स्टैण्ड, डिग्गी मालपुरा जयपुर रोड, फागी दूदू–303005
   निवासी वार्ड नं0 20, जयपुर मालपुरा रोड, फागी, दूदू

अप्रार्थीगण – अभियुक्त

उपस्थित अधिवक्ता – शेर सिंह

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II)/51 एवं एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II)/51 एवं 26 एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011 सरकार जरिये नरेन्द्र सिंह राठौड, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा पेश किया गया। जिसका सार निम्नानुसार है: –

1. यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के कार्य सम्पादन कर रहा है। मुझे राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एफ5(I)चिरवा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया है।

2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2024 को दोपहर 1.00 पी.एम. पर मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, रोडवेज बस स्टैण्ड, डिग्गी मालपुरा जयपुर रोड,

अतिरिक्त जिला कलक्टर

फागी, दूदू पर पहुँचा। वहां पर जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र हनुमान सिंह उपस्थित थे। मैंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित ने स्वयं को अपनी फर्म का विक्रेता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड एवं गवाहान के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह कि आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, रोडवेज बस स्टैण्ड, डिग्गी मालपुरा जयपुर रोड, फागी, दूदू, जयपुर पर विक्रेता की प्रतिष्ठान की रसोई गृह का निरीक्षण करने पर 6 किलोग्राम मावा (खोया) स्टील ट्रे में रखा हुआ था, जो कि आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु एक किलोग्राम मावा (खोया) खरीदकर उसकी कीमत 300/– रूपये विक्रेता जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री वीरेन्द्र एवं ओमप्रकाश भावरिया के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। रसीद संलग्न है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियॉं एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट संलग्न है।

5. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलोग्राम मावा (खोया) को एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की चोडे मुँह की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा एक किलो मावा को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN – 3969 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. AN – 3969 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फॉर्म नं. छः की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज0 जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज0 जयपुर को जमा कराकर फॉर्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र कमांक एफएसएसए/2024/378 दिनांक 25.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, राज., जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1016/एक्ट/2023/1160 दिनांक 02.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा (खोया) सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट संलग्न है।

8. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त पत्रावली श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को वास्ते अनुमति प्रस्तुत की। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। जिस पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सब स्टैण्डर्ड मावा का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन होने से धारा 51 के तहत जुर्माना हेतु आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद मय वर्णित दस्तावेजात व सूची गवाहान के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आशय का परिवाद प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री शेरसिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। गैरसायलान को जवाब हेतु प्रर्याप्त समय दिया गया। गैरसायलान द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुनने का निवेदन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गयी है। लेबोरेट्री जांच में मानव स्वास्थ्य के प्रति विपरित प्रभाव वाला कोई पदार्थ नहीं मिला है। जांच रिपोर्ट में नमूना मात्र सब स्टैण्डर्ड पाया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को अवैध एवं विधि विरूद्ध बताते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कथन किया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी की बहस का मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

उपलब्ध खाद्य सामग्री में गुणवत्ता की कमी के अंदेशे से की गई कार्यवाही नियम एवं प्रक्रियानुसार की गई है तथा अपराधी द्वारा विक्रय के उद्देश्य से रखे खाद्य पदार्थ मावा (खोवा) के नमूने में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार वसा की मात्रा मानक सीमा 30 प्रतिशत से कम नहीं के स्थान पर 22.81 पाई गई है। जिससे नमूना खाद्य पदार्थ सब स्टैण्डर्ड होना पुष्ट होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अपराधी श्री जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित (विक्रेता) एवं सुमेर सिंह (मालिक) की फर्म जोधपुर मिष्ठान्न भण्डार से वक्त निरीक्षण जब्त किया गया मावा (खोवा) नमूना जांच में सब स्टैण्डर्ड का पाये जाने से अपराधी द्वारा सब स्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। परन्तु अपराधी द्वारा विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ में ऐसी कोई मिलावट नहीं पायी गयी है जिससे कि उपयोग करने वाले के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अन्तर्गत निर्धारित जुर्माना प्रावधान के तहत अपराधीगण पर संयुक्त रूप से 10000/रू. अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अपराधी शास्ति राशि जरिये चालान जमा करा कर चालान की एक प्रति निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय दिनांक 18.11.2024 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू